



साइबर अपराध और साइबर उत्पीड़न के संदर्भ में सख्त कदम उठाने की जरूरत : अक्षत खेतान

जयपुर, समाचार जगत न्यूज. अखिल भारतीय स्तर पर कानूनी सलाह उपलब्ध कराने वाली अग्रणी संस्था, एयू कॉर्पोरेट एडवाइजरी एंड लीगल सर्विसेज ने भारत में साइबर-बुलीइंग के खतरे का सामना कर रहे हर व्यक्ति की अनमोल जिंदगी बचाने और उसकी हिफाजत करने के लिए, साइबर-बुलीइंग, साइबर अपराध एवं साइबर उत्पीड़न के क्षेत्र में नई राह दिखाने वाली पहल की शुरुआत की है। एयू कॉर्पोरेट एडवाइजरी एंड लीगल सर्विसेज के संस्थापक अक्षत खेतान ने कहा कि भारत धीरे-धीरे डिजिटल रूप से सशक्त समाज बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, इसलिए साइबर-बुलीइंग, साइबर



अपराध और साइबर उत्पीड़न की वजह से सामने आने वाले खतरों की अनदेखी नहीं की जानी चाहिए। नीति निर्माताओं, शिक्षकों, कानून लागू करने वाली संस्थाओं और आम लोगों को इन समस्याओं पर तुरंत ध्यान देने की जरूरत है। भारत इस मुद्दे के सभी पहलुओं को शामिल करने वाला कानूनी ढांचा तैयार करके, लोगों के बीच जागरूकता बढ़ाकर और कानून लागू करने वाली संस्थाओं को मजबूत करके, इन ऑनलाइन खतरों के हानिकारक प्रभावों को कम करने की शुरुआत कर सकता है, साथ ही यह सुनिश्चित कर सकता है कि इंटरनेट अपने सभी उपयोगकर्ताओं के लिए पूरी तरह सुरक्षित बना रहे।